24.6.16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अनु० गैरसायलान की विधिवत तामील के उपरान्त एकपक्षीय कार्यवाही के दौरान गै.सा. नं. 1 की ओर से अभिभाषक श्री अशोक नीमनका द्वारा वकालतनामा पेश कर पैरवी करने की दिनांक 9.9.15 को पेशकस की गई। जिन्हें पैरवी के लिए पर्याप्त अवसर दिये गये। किन्तु विद्वान अभिभाषक गै०सा. नं०1 की ओर से वकालतनामा दायर करने में असफल रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर प्र०पत्र स्वीकार किया जाता है। सायल कीखातेदारी भूमि ख०नं० 963, 1195, 1267, 1374, 1511, 1512, 1565 कुल किता 7 कुलरकबा 0.88 हे० वाके ग्राम गांवडा मीना में राजपाल, सरवन पि० देवपाल हिस्सा 2/9, मल्ली पुत्र देवपाल हिस्सा 1/9 (सायलान) के कब्जा काश्त में गैरसायलान ता० दावा फैसला मजाहमत, मदाखलत बेजा ना स्वयं करे, ना किसी दीगर से करावें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील शामिल मुलदावा किया जावे।

निर्णय उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष राजस्व लोक अदालत शिविर मे सुनाया गया।

[signature]